राष्ट्रीय लोक अदालत

अतिरिक्त राजस्व बैंच

भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य(आर.जे.एस.) **सलोनी खेमका IAS**

अध्यक्ष **सदस्य**

मुकदमा नम्बर 14/2020 प्रा.पत्र

रमेशचन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक 12.03.2022

पंचाट

उक्त प्रकरण आज लोक अदालत की बेंच के समक्ष रखा गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह अनुतोष चाहा है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद खोले गए नामान्तकरण में उसके उपनाम छोटूलाल के नाम से नामान्तकरण कर दिया गया है। जबकि उसके सारे सरकारी रिकार्ड व दस्तावेजों में उसका नाम रमेशचन्द्र अंकित है। तहसीलदार द्वारा इस संबध में की गई जॉच रिपोर्ट अभिलेख पर है जिसमें उन्होंने यह माना है कि प्रार्थी का नाम जमाबंदी में छोटूलाल के बजाय रमेशचन्द्र शर्मा पिता भैरूलाल शर्मा ब्राह्मण किया जाना उचित है। तहसीलदार गिर्वा ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से उक्त दुरस्ती की जाने में अनापत्ति व्यक्त की।

उपरोक्त राजीनामा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय का पंचाट जारी किया जाता है कि जमांबदी में प्रार्थी का नाम छोटूलाल के बजाय रमेशचन्द्र शर्मा पिता भैरूलाल शर्मा ब्राह्मण अंकित किया जावे। पंचाट की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालना हेतु भिजवाया जावे।

(भूपेन्द्र कुमार सनाढय)
अध्यक्ष

(सलोनी खेमकाIAS)
सदस्य